

जो कल निर्दिष्ट दिनांकों को  
 प्रयोग करते हुए प्रतिवादी  
 स(वा 9, 10, 13, 14 (1) से 14 (6)  
 के विरुद्ध दिनांक 7.11.17 को  
 पारित एक पक्षीय कोर्ट  
 निर्णय विभाजित है। वकील  
 वादी उक्त प्रतिकारियों  
 को लक्ष्य के लिए लड़ी  
 पर के साथ P/F एवं  
 विमान सेवा से। पेश करने  
 पर लक्ष्य जाके हो। पेशावली  
 दिनांक 7-3-18 को पेश  
 हो।

S/O देवरी

14.2.18

वीरसाध

वकुलाद उर्फ वादी ने जापस  
 प्रस्तुत कर वाद जरिमे काहरण (withdrawal)  
 खातिर करने का निर्देश किया। वकील  
 प्रतिवादी को उत्तराज नही है। निहाय  
 वाद वादी जरिमे विहीन खातिर  
 किया जाता है। पेशावली फसल शुमार  
 होकर सरवा से कम हो।

(राजेश मेवाडा)  
 S/O देवरी